

I/14361/2023

I/14361/2023

File No. अधि-1-12/10/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6173)

**कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून**

ईमेल: ccfadmin-forest-uk@nic.in ☎ 0135:2741461,2746934 फ़ैक्स : 2741630,2741462

कार्यालय पता: वन भवन, 85-राजपुर रोड़, देहरादून,

**वनादेश संख्या 33 /1-13(13) एच0आर0डी0 देहरादून दिनांक, 28 जनवरी, 2023.**

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

**पदोन्नति / तैनाती**

वैयक्तिक सहायक संवर्ग में मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक I/8677/2022/1-13 एच0आर0डी0 दिनांक 28-10-2022 द्वारा चयन समिति का गठन किया गया था। चयन समिति की दिनांक 03-11-2022 को बैठक आयोजित की गयी। समिति की संस्तुति के आधार पर श्री मोहन चन्द्र आगरकोटी, वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान 44900-142400 लेविल-7 को मुख्य वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान 56100-177500 लेविल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में उल्लिखित शर्तों के साथ जनहित में की जाती है :-

क्र0 सं0	वैयक्तिक अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री मोहन चन्द्र आगरकोटी	प्र0व0 तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कर्मचारी आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पद पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

4. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

5. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए)(1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से 01 माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

**Signed by Vinod Kumar****Date: 28-01-2023 13:12:13**

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

पत्र सं0 I/14361/23 (1) / 1-13(13) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक एवं प्र0व0, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर।
3. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. मु0व0सं0, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

1

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF